न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर(जोधपुर)
पीठासीन अधिकारी, दूदाराम R.A.S

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 281/2021

अपीलार्थीगण :–
1. आमदीन पुत्र कासमखां
2. जबारखां पुत्र कमरूदीन
जातियान मुसलमान
निवासीयान शेखनगर तहसील
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

बनाम

प्रत्यार्थीगण :–
1. सरपंच ग्राम पंचायत शेखनगर
पंचायत समिति पीपाड़ शहर
2. बेवीदेवी पत्नि गणपतलाल
3. गणपतलाल पुत्र धनाराम
जातियान मेघवाल निवासीयान
शेखनगर पंचायत समिति
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 558 दिनांक 18.02.2021 जो श्रीमती बेवीदेवी सरपंच ग्राम पंचायत शेखनगर द्वारा स्वीकृत।

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री बाबुलाल विश्नोई एंव श्री संजय दाधिच वकील अपीलान्ट की ओर से

निर्णय दिनांक 31.03.2022

वकील अपीलांट ने एक अपील प्रस्तुत की गई जो इस प्रकार है कि ग्राम शेखनगर की सरहद मे स्थित खसरा नं. 964 रकबा 1.1407 हैक्टेयर भूमि मे से प्रत्यार्थी गणपतलाल ने दिनांक 25.01.2021 को जरिये दानपत्र अपनी पत्नि जो वर्तमान मे सरपंच ग्राम पंचायत शेखनगर है, के पक्ष मे 0.2242 हैक्टेयर भूमि का दान किया जिसके नये खसरा नं. 1380/964 दर्ज हुए है। उक्त दानपत्र से व्यथित होकर यह अपील अपीलार्थीगण निम्न आधारो पर प्रस्तुत है :– आलोच्य नामान्तरणकरण संख्या 558 दिनांक 18.02.2021 विधि विरूद्ध पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं दस्तावेजात के विपरित होने से काबिले निरस्त है। उक्त नामान्तरकरण को सरपंच बेवीदेवी द्वारा निस्तारित करने मे भारी त्रुटि कारित की है क्योंकि दानपत्र स्वयं सरपंच के पक्ष मे निष्पादित किया गया है एवं वही सरपंच नामान्तरकरण को स्वीकृत कर रहा है। यहां यह लिखना न्यायोचित होगा कि नामान्तरकरण एक विधिक प्रकिया है जिसमे सरपंच स्वयं हितबद्ध व्यक्ति है जो अपना निर्णय अपने मामले स्वयं नही कर सकता। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है। (Nemo iudex in sua causa) इस Maxima के अनुसार विधि का प्राकृतिक न्याय अपने आप मे स्पष्ट है। इस सिद्धान्त की पालना नही की गई है। मात्र इसी आधार पर अपील स्वीकार करने योग्य है। उक्त दानपत्र विधि विरूद्ध है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के अनुसार अनुसुचित जाति के व्यक्ति के खातेदारी की भूमि केवल व केवल अनुसुचित जाति के व्यक्ति को ही हस्तान्तरित की जा सकती है न कि किसी अन्य को। हस्तगत प्रकरण मे दानपत्र सरपंच, ग्राम पंचायत शेखनगर के नाम निष्पादित हुआ है जो कि अपने आप मे शून्य है। जिसके आधार पर खातेदारी प्रदान नही की जा सकती। विद्ववान सरपंच महोदया ने परिपत्र दिनांक 09.11.2005 की शर्त संख्या 7(2) की पालना नही की है। उक्त शर्त निम्न प्रकार है :– 7(2) यदि अनुसुचित जाति/अनुसुचित जन जाति का खातेदार किसी कार्यालय के अधिकारी जो कि अनुसुचित जाति/अनुसुचित जन जाति का व्यक्ति है, उस परिस्थिति मे नामान्तरकरण उस व्यक्ति विशेष के नाम जो कि अनुसुचित जाति/अनुसुचित जन जाति का है, के नाम भरा जायेगा न कि विधिक संस्था/कम्पनी/सोसायटी/फर्म के नाम जहां उक्त अनुसुचित जाति/अनुसुचित जन जाति का व्यक्ति कार्यरत है। इस परिपत्र की यह शर्त अपने आप मे यह स्पष्ट कर देती है कि दानपत्र बेवीदेवी के नाम निष्पादित हुआ है तो उक्त भूमि केवल बेवीदेवी के नाम ही दर्ज हो सकती है न कि उक्त संस्था के। इस सिद्धान्त को माननीय सर्वोच्च न्यायालय

31/3

ने अपने निर्णय दिनांक 20.09.2012 को राजस्थान सरकार व अन्य बनाम अंजनय ऑर्गेनिक हर्बल प्राईवेट लिमिटेड मे निष्पादित किया है जो अब पूर्ण कानून का रूप धारण कर चुका है। मात्र इसी आधार पर आलोच्य नामान्तरण खारिज योग्य है। नामान्तरकरण संख्या 558 के भरने मे विधिक प्रकिया की पालना नही की है न ही मौका देखा गया न ही पटवारी की रिपोर्ट तलब की गई। जबकि उक्त दोनो ही आज्ञापक थे। यहां यह कहना भी न्यायोचित होगा कि राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार पंचायत की बैठक प्रत्येक माह की 5 तारीख व 20 तारीख को ही आयोजित होती है जबकि आलौच्य नामान्तरकरण दिनांक 18.02.2021 को स्वीकृत किया है। तात्पर्य यह है कि बिना बैठक के नामान्तरकरण स्वीकृत किया है जो केवल व केवल सरपंच ने मनमाने रूप से पारित किया है। दान देइन्दा व दान ग्रहिता आपस मे पति व पत्नि है जिन्होने पंचायत की आड मे अपने स्वयं के स्वार्थ को सिद्ध करना चाहा है। उक्त दोनो का कृत्य पद के दुरूपयोग की परिभाषा मे आता है। अगर वास्तव मे दान देइन्दा उक्त भूमि पंचायत को देना चाहते तो सर्वप्रथम राज्य सरकार के पक्ष मे समर्पण करते एवं तत्पश्चात राज्य सरकार बतौर आबादी पंचायत को आवंटित करती। ऐसा नही करना उक्त दोनो का ही दुरभी संधि एवं निजी हित प्रकट करता है। मात्र इसी आधार पर आलौच्य नामान्तरकरण काबिले निरस्त है। विद्ववान अधिनस्थ न्यायालय ने हस्तगत प्रकरण मे न्याय के नेसर्गिक सिद्धान्तो की पालना किये बिना आदेश पारित किया है जो काबिले निरस्त है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील के लम्बित रहने के दौरान आलोच्य नामान्तरकरण सं. 558 दिनांक 18.02.2021 की पालना व प्रभाव स्थगित रखे जाने एवं विवादित भूमि खसरा नम्बर 1380/964 के मोके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश सादिर फरमावें ।

अपीलांट की अपील को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्टगणो को नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेण्टगणो के नोटिस बाद तामिल होने पर भी अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी ।

वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी, वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील के बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर नामान्तरकरण सं. 558 दिनांक 18.08.2021 मौजा शेखनगर को अपास्त किये जाने का निवेदन किया है ।

अतः हमने बहस वकील अपीलांट सुनी जाकर अपील स्वीकार कर राजस्व ग्राम शेखनगर के नामान्तरकरण सं. 558 दिनांक 18.08.2021 निरस्त किया जाता है तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि नियमानुसार उत्तराधिकारीयो की सम्पूर्ण जांच कर आदेश पारित नामान्तरकरण की कार्यवाही की जावें ।

(बृदाराम)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 31.03.2022 को कोर्ट में लिखवाया जाकर मजमेआम सुनाया गया ।

फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

(बृदाराम)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर